न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 19/2022

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1. चोखाराम पुत्र समेलाराम 2. हरीराम पुत्र रामलाल 3. अशोक कुमार पुत्र गणपतराम 4. बजरंगलाल पुत्र गणपतराम 5. बलदेवराम पुत्र गणपतराम 6. कमला पुत्री गणपतराम 7. गंगाविशन पुत्र गणपतराम 8. भंवरी विश्नोई पुत्री गणपतराम 9. रामनारायण पुत्र गणपतराम 10. सुरेन्द्र विश्नोई पुत्र गणपतराम 11. सीमा पुत्री गणपतराम 12. हस्तु पत्नी गणपतराम 13. जगदीश पुत्र हरलाल 14. बगडाराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी चेनासर तह0 व जिला नागौर।	1. पप्पुराम पुत्र भागीरथराम 2. भंवरलाल पुत्र भागीरथराम 3. रामचन्द्र पुत्र भागीरथराम 4. रामनिवास पुत्र भागीरथराम 5. शांती पत्नी भागीरथराम 6. सुशीला पुत्री भागीरथराम 7. हेतराम पुत्र धनाराम जातियान विश्नोई निवासीगण चेनासर तह0 व जिला नागौर 8. मैनेजर राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा श्रीबालाजी 9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थित अधिवक्तागण :–
श्री राधेश्याम सांगवा(वकील प्रार्थीगण)
श्री धर्माराम खुड़खुड़िया एवं श्री राजेश चौधरी(वकील अप्रार्थी सं0 1 से 7)

आवेदन पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :–

प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थीगण के कब्जासुद सहखातेदारी की भूमि खसरा नं. 1163/644 रकबा 0.6475 हैक्टेयर खसरा नं. 643 रकबा 7.0011 हैक्टेयर, खसरा नं. 645 रकबा 4.3544 हैक्टेयर, खसरा नं. 652 रकबा 2.5819 हैक्टेयर बाके मौजा चेनासर तहसील नागौर में स्थित है, नकल खतौनी व नक्शा साथ पेश है।

प्रार्थीगण के उक्त खेतो में आवागमन का एक मात्र रास्ता श्रीबालाजी से सथेरण जाने वाली आम सडक से दक्षिणी तरफ फट कर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1258/649 में से होकर आगे खसरा नं. 651 जिसमें 1/2 हिस्सा पप्पुराम वगैरा का व 1/2 हिस्सा हेतराम का है उसमें से होकर आगे प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का रास्ता स्थित रहता चला आया है अप्रार्थीगण के खेतो की नकल खतौनी भी साथ पेश है।

प्रार्थीगण के उक्त खेताय में आवागमन के इस रास्ते को सलग्न नक्शा में मार्क ए. से बी. 30 फुट चौडाई का दर्शित किया गया है नक्शा आवेदन का अभिन्न अंग है इस मार्क ए. से बी. के अलावा अन्य कार रास्ता प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का नहीं है।

प्रार्थीगण के खसरा नं. 652 व 645 में से रास्ता प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए तैयार है मगर अप्रार्थीगण उक्त कदीमी रास्ता को अब बंद करने पर आमादा है, जबकि प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है इसी से होकर प्रार्थीगण अपने खेतो में आवागमन करते हैं, गाड़ी, छकड़ा, मवेशी आदि लाते ले जाते है।

प्रार्थीगण उक्त कदीमी रास्ता मार्क ए. से बी. को सदेव के लिए रास्ता घोषित करवा कर रेकर्ड व नक्शा में अमल दरामद करवाना स है जिस हेतु आवेदन पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 652 व 645 में बिना किसी मुआवजा के रास्ता कायम व घोषित करवाने हेतु तैयार है तथा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 651 व 1258/649 में से जो भूमि रास्ते में आयेगी उसका मुआवजा देने को तैयार है।

अन्त में प्रार्थीगण द्वारा इस्तदुआ चाही गई कि, अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं 1063/644, 645, 652, मौजा चेनासर में आवागमन का रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शित मार्क ए. बी. सी. अप्रार्थीगण के खसरा नं. 651 व 1258/649 में से होकर 30 फुट चौड़ाई का रास्ता जो आगे खसरा नं. 652 व 645 में से होकर गुजरता है उस रास्ता को आने जाने, मवेशी, ट्रैक्टर, छकड़ा आदि लाने ले जाने हेतु घौषित किया जावे और तद्नुसार राजस्व अभिलेख व राजस्व नक्शा में उक्त भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज की जाने का आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित आदेश/अनुतोष लाभार्थ प्रार्थीगण हो प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए रजि0 एडी नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नागौर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 की तरफ से वकील श्री राजेश चौधरी ने दिनांक 15.09.2022 को वकालतनामा एवं दिनांक 29.09.2022 को जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :–

यह है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में प्रार्थीगण के कब्जासुद सहखातेदारी की भूमि खसरा नं. 1163/644 रकबा 0.6475 हैक्टेयर खसरा नं. 644 खसरा नं. 643 रकबा 7.0011 हैक्टेयर, खसरा नं. 645 रकबा 4.3544 हैक्टेयर, खसरा नं. 652 रकबा 2.5819 हैक्टेयर वाके मौजा चेनासर तहसील नागौर में स्थित होने का कथन किया है जो प्रार्थीगण स्वयं साबित करे।

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थीगण के उक्त खेतो में आवागमन का एक मात्र रास्ता श्रीबालाजी से सथेरण जाने वाली आम सडक से दक्षिणी तरफ फंट कर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1258/649 में से होकर आगे खसरा

नं. 651 जिसमें 1/2 हिस्सा पप्पुराम वगैरा का व 1/2 हिस्सा हेतराम का है उसमें से होकर आगे प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का रास्ता स्थित रहता चला आया हो। जबकि अप्रार्थीगण के उक्त खेताय में से कथित कोई रास्ता कभी नहीं रहा न आज दिन मौजूद है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता उनके भाई बन्धुओ के खेत खसरा नं. 662 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर आगे खसरा नं. 1161/652 में आने जाने का नजदीकी व सुगम रास्ता है क्योकि मूल खसरा नं. 652 के ही बंट होकर तीन खसरा नं. 1161/652. 1158/652 व 652 बने है और इनके चिपता खसरा नं. 662 और खसरा नं. 662 के चिपता कटाणी रास्ता है व खसरा न. 662 के उतरी तरफ खसरा नं. 1326/620 व खसरा नं. 1136/606 में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां बनी हुई है उक्त दोनो खसरान में कटाणी रास्ता पश्चिमी तरफ कटा हुआ है जिससे होकर आगे कटाणी रास्ता/ग्रेवल सड़क से खसरा नं. 662 में प्रवेश करता हुआ आगे प्रार्थीगण के दीगर खेतो में आवागमन का रास्ता रहता चला आया है व उसी तरफ से रास्ता दिया जाना चाहिए क्योकि आगे प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां स्थित है लेकिन प्रार्थीगण ने जानबूझ कर खसरा नं. 662 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया व उक्त वैकल्पिक रास्ता जो उनकी ढाणीयो तक उनके भाई बन्धुओ गणपतराम, हजारीराम पिसरान रामूराम को पक्षकार नहीं बनाया है व उन से दुरभिसंधी करके अप्रार्थीगण के खेतो में से अनावश्यक रास्ता की मांग की है। यहां पर यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि गणपतराम प्रार्थीगण संख्या 3 से 12 का पिता व पति है और जब प्रार्थीगण स्वयं के खेतो में से होकर कटाणी रास्ता लगता है तो नये रास्ता की मांग कतई नहीं की जा सकती है। इसके एक और नजदीकी वैकल्पिक रास्ता मूल खसरा नं. 645 के चिपता पश्चिमी तरफ खसरा नं. 1224/620 स्थित है और इस खसरा के चिपता पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता चलता है जिससे उक्त कटाणी रास्ता से खसरा न 1224/620 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे खसरा नं. 645 में आवागमन का सबसे नजदीकी सुगमतम रास्ता स्थित रहता चला आया है नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने जो प्रस्तावित रास्ता की मांग की है उससे कम दुरी के व सुविधाजनक दो–दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है जो प्रस्तावित रास्ता से कम दूरी के व सुविधाजनक प्रार्थीगण स्वयं के खेतो में से होकर रहते चले आये है। प्रार्थीगण को यदि रास्ता घोषित ही करवाना है तो उपरोक्तानुसार खसरा नं. 662 में से होकर सासरा न 1161/652 1158/652, 652 व 643 व 645 की माठ से होकर खसरा न. 1163/644 खसरा नं. 1160/644 1156/644 व 644 तक आवागमन का रास्ता सरेण्डर करके रेकर्ड में दर्ज करवा सकते है इसलिए नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब दो–दो वैकल्पिक कम दूरी का रास्ते पहले से स्थित है ऐसी स्थिति में अधिक दुरी का नया रास्ता घौषित करने का कोई प्रावधान धारा 251ए राज० टि० एक्ट में नहीं है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यकता होगा कि धारा 251ए काश्तकारो की जौत में आने जाने के लिए कम दूरी के रास्ता के लिए सृजित की गयी है और कम दूरी का रास्ता प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने का उनके स्वयं के व भाई बन्धुओ के खेतो में से होकर रहता चला आया है जो नक्शा से स्पष्ट है।

आवेदन का पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थीगण के उक्त खेताय में आवागमन के इस रास्ते को संलग्न नक्शा में मार्क ए. से बी. 30 फुट चौड़ाई का दर्शित किया गया है। जबकि अप्रार्थीगण के खेतो में से कथित ए. से बी. कोई रास्ता कभी नहीं रहा है मनमर्जी से 30 फुट चौड़ा रास्ता होना गलत कथन किया है। यह गलत है कि इस मार्क ए. से बी. के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का नहीं हो। जबकि प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का रास्ता खसरा नं. 1224/620 की दक्षिणी माठ से होकर बहुत कम दूरी का रास्ता कटाणी रास्ता से मिलता हुआ स्थित रहता चला आया है व इसके अलावा खसरा नं. 662 में से होकर उपर बताये अनुसार भी रास्ता रहता चला आया है इसलिए जब कम दूरी का व स्वयं प्रार्थीगण के खेतो में से रास्ता जहां दिया जाना संभव है तो अधिक दुरी का नया व तीसरा रास्ता कतई नहीं दिया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के खसरा नं. 652 व 645 में से रास्ता प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए तैयार है तो वैसी सुरत में खसरा नं. 662 जिसके चिपता कटाणी रास्ता है उसमें से होकर आगे खसरा नं 1161/652, 1158/652. 652 में से होकर भी रास्ता कटवा सकते है जो आगे खसरा नं. 643 व 645 की माठ से होकर खसरा नं. 1163/644 तक आ जा सकते है क्योकि ये खसरान प्रार्थीगण स्वयं के व उनके परिवार वालो की खातेदार के है जब स्वयं के व परिवारजन की खातेदारों के खेतो के कटाणी रास्ता लगता है तो वैसी सुस्त में अन्य खातेदारों के खेतो में से नया रास्ता कतई घोषित नही करवा सकते है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा बताये अनुसार अप्रार्थीगण के खेतों में कोई रास्ता है ही नहीं तो बंद करने पर आमादा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्य माननीय न्यायालय से छुपा कर धारा 251ए राज० टि० एक्ट के प्रावधानो व मंशा के विपरीत मिथ्या तथ्य प्रकट कर गलत ढंग से आवेदन पेश किया है प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन की कोई समस्या नहीं है शुरू से ही जवाब में बताये अनुसार दोनो वैकल्पिक रास्तो से आवागमन होता है व जानबूझ कर मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार करवा कर उसमें उन नजदीकी व वैकल्पिक रास्तो का अंकन नहीं होने दिया है इसके अलावा मौका रिपोर्ट जो पेश हुई है उसमें भी प्रस्तावित रास्ता की भूमि पर गंवार की फसल काश्त की होने का अंकन है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित जो रास्ता बताया है वैसा कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है न रास्ता के अलामात है बल्कि काश्त की हुई भूमि है तथा मौका रिपोर्ट अपूर्ण व वास्तविक वैकल्पिक रास्तो को दर्शाये बिना पेश की होने से इस बाबत आपति पृथक से पेश की जा रही है। यह गलत है कि प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का आवेदन में बताये अनुसार ही एक मात्र रास्ता हो। यह भी गलत है कि कथित रास्ता से होकर प्रार्थीगण अपने खेतो में आवागमन करते हो व गाड़ी, छकडा, मवेशी आदि लाते ले जाते हो।

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण कथित मार्क ए. से बी. प्रस्तावित रास्ता को कदीमी रास्ता सरासर गलत बताया है जबकि ऐसा कोई रास्ता मौके पर कभी नहीं रहा है न घौषित किया जा सकता है क्योकि जब सबसे नजदीकी रास्ते प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो के चिपते कटाणी रास्ते से होकर रहते आये है व वैकल्पिक रास्ता जहां मौजूद हो तो

अनावश्यक रूप से अत्यधिक दूरी का नया रास्ता कतई घौषित नहीं किया जा सकता है न ऐसी विधि की मंशा है। प्रार्थीगण के खेत खसरा न. 652 व 645 में बिना किसी मुआवजा के रास्ता कायम व घोषित करवाने हेतु तैयार है तो आगे खसरा नं. 1224/620 में से सबसे नजदीकी दुरी का रास्ता घोषित करवा सकता है एवं खसरा नं. 662 में से उपर बताये अनुसार रास्ता सरेण्डर कर घोषित करवाया जा सकता है जो कटाणी रास्ता के बिल्कुल चिपता नजदीकी रास्ता है प्रार्थीगण के आवागमन के दो दो रात्तते मौजूद है फिर भी आपस में दुरभिसंधी व षड़यंत्र रच कर मिथ्या कार्यवाही बाले बाले की है व माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं होने दी है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीनहँड से नहीं आये है प्रार्थीगण ने जिस तरह के अभिवचन दर्ज कर आवेदन पेश किया है उसके अनुसार उनका आवेदन धारा 251ए राज० टि० एक्ट के तहत पोषणीय ही नहीं है क्योकि सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता से होकर जो रास्ते है उनको जानबूझ कर नहीं दर्शा कर अधिक दुरी का एक और नया रास्ता अनावश्यक घौषित कर अप्रार्थीगण को नाजायज तंग परेशान करना चाहते है जो कतई उचित नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियो में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने व सबसे कम दुरी का नजदीकी रास्ता उपलब्ध रहता चला आने से आवेदन से बिना आवश्यकता के प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरासर गलत तथ्यो पर आधारित विधि विरूद्ध पेश किया होने व पहले से ही नजदीकी वैकल्पिक रास्ता रहता चला आने के कारण आवेदन प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार नागौर के पत्रांक :भू.अ./2022/6692 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति पेश करने पर दिनांक 10.10.2022 को उक्त आपत्ति को खारिज किये जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने उक्त निगरानी के निर्णय दिनांक 08.06.2023 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 को निरस्त करते हुए उभय पक्ष को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में भू–अभिलेख अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर एक माह में विधिसम्वत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की पालना में तहसीलदार नागौर से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नागौर के पत्रांक :भू.अ./251क/2023/4831 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 की धारा 69 की पालना करते हुए भू.अ.नि. श्रीबालाजी द्वारा तैयारी की गई मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को मांग किये गये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होना, रास्ता लघूतम दूरी का होना एवं प्रस्तावित नक्शानुसार रास्ता दिया जाना उचित माना हैं एवं रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की हैं।

दिनांक 06.03.2024 को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस शुरू की गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता हैं एवं तहसीलदार नागौर की मौका रिपोर्ट भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतः तहसीलदार नागौर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता घोषित किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने बहस करने से इन्कार किया और न्यायालय से बाहर चले गये। चूंकि वकील अप्रार्थीगण को पूर्व में बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका था, तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रकरण दोनो पक्षों की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर एक माह में निस्तारण के निर्देश दिये थे। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिए पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत की जा चुकी थी। उसके बाद वकील अप्रार्थीगण पुनः उपस्थित होकर आवेदन बाबत अप्रार्थीगण की उपस्थित में पुनः मौका रिपार्ट मंगवाने का पेश किया। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत थी, जिस पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जा चुकी थी। वकील अप्रार्थीगण ने पहले बहस करने से इन्कार किया फिर आवेदन बाबत अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट का पेश किया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 की धारा 69 की पालना करते हुए भू. अ.नि. श्रीबालाजी ने दोनो पक्षों को दिनांक 26.09.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2023 को नोटिस तामिल करवाकर रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 27.09.2023 को ही मौका रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। अब मात्र अप्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण को लम्बा करने के उदेश्य से पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने का आवेदन पेश किया हैं, इसलिए उक्त आवेदन पर कोई घोर नहीं किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं राज्य पक्षकार जरिये तहसीलदार नागौर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 की धारा 69 की पालना करते हुए भू. अ.नि. श्रीबालाजी ने दोनो पक्षों को दिनांक 26.09.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में दिनांक 23.09.2023 को नोटिस तामिल करवाकर रिपोर्ट तैयार की हैं तथा मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं राज्य पक्ष जरिये तहसीलदार नागौर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 1163/644, 645, 652 मौजा चेनासर में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का पेड़–पौध एवं कोई पक्का निर्माण नहीं बताया हैं। फर्द मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु नजदीकतम एवं सुविधाजनक रास्ता हैं। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 652 व 645 में बिना किसी मुआवजा के रास्ता कायम व घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र में अपनी सहमति दी हैं।

नक्शा में प्रस्तावित रास्ता मार्क 'अ' से 'ब' खसरा नम्बर 1258/649 में से 298 वर्गमीटर एवं मार्क 'ब' से 'स' ख.नं. 651 में से 1982 वर्गमीटर 20 फुट चौड़ाई में दिये जाने पर प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 2280 वर्गमीटर अर्थात् 0.228 हैक्टेयर बताया हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 1163/644, 645, 652 वाके सरहद मौजा चेनासर तहसील व जिला नागौर में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1258/649 एवं 651 में से प्रस्तावित एवं फर्द मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार मार्क 'अ' से ब'' जिसका क्षेत्रफल 298 वर्गमीटर एवं मार्क 'ब' से 'स' जिसका क्षेत्रफल 1982 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 2280 वर्गमीटर अर्थात् 0.228 हैक्टेयर बनता है तथा मार्क 'स' से ख.नं. 1163/644 तक कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त घोषित किये गये रास्ते की डी.एल.सी. दर 96238/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। जिसके अनुसार 0.228 हैक्टेयर भूमि की संबंधित डीएलसी दर की दुगुनी कीमत 43885/– बनती है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा 43885/– रूपये की राशि राजकोष मे चालान/डीडी द्वारा जमा करवाये जाने पर मौजा ग्राम चैनासर तह0 व जिला नागौर के खेत ख.नं. 1163/644, 645, 652 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1258/649 एवं 651 में से तहसीलदार नागौर द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा मार्क 'अ' से ब'' जिसका क्षेत्रफल 298 वर्गमीटर एवं मार्क 'ब' से 'स' जिसका क्षेत्रफल 1982 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 2280 वर्गमीटर अर्थात् 0.228 हैक्टेयर तथा मार्क 'स' से ख.नं. 1163/644 तक ख.नं. 652 व 645 में से 20 फुट भूमि पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार नागौर को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा लटठा मे अमल दरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही रास्ते के लिये घोषित भूमि को सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी के खसरा में से कम की जावें तथा प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के लिए जमा करवाई गई राशि नियमानुसार अप्रार्थीगण को दी जावे। तहसीलदार नागौर द्वारा प्रेषित फर्द मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग होगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर